>

Title: Need to formulate a national policy for the women living separately and make a law protecting the rights of the women working as domestic help in the country.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एकल महिला से संबंधित समस्याओं पर बोलने का मुझे अवसर दिया। देश में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि करने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, आर्थिक दशा में सुधार करने और ग्राम पंचायत से उच्चतम स्तर तक चुनाव में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं की दशा सुधारने और सशक्तीकरण के अनेकानेक कदम उठाए हैं और उनके लिए योजनाएं बनायी गयी हैं, जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं इससे अलग पहलू पर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

महिलाओं में एकल महिलाओं की अलग श्रेणी है तथा इनकी समस्यायें भी एकदम भिन्न हैं और अत्यन्त गंभीर हैं, जिनकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। एकल महिलाओं का जीवनयापन करना बहुत कठिन होता है। एकल महिलाओं के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कोई अलग योजना नहीं बनायी गयी है और यदि बनायी गयी है तो उसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर हमें इस बात की जानकारी नहीं है, तो अन्य को भी नहीं होगी। रोजी-रोटी कमाने, अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के साथ ही एकल महिलाओं को अपना मान-सम्मान और मर्यादा बनाए रखने की भी हमेशा चुनौती बनी रहती है। उन्हें आय अर्जित करने या उन्हें तथा उनके वयस्क बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने की भी अलग योजना होनी चाहिए, जिससे उनका मान-सम्मान बढ़े और जल्द से जल्द उन एकल महिलाओं पर जीवन की जिम्मेदारियों का बोझ कम हो सके। इसके साथ ही मैं सदन का ध्यान घरेलू कामगार महिलाओं के साथ हो रहे शोषण की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा और यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रत्येक घरेलू कामगार महिलाओं का पंजीकरण कराया जाना चाहिए एवं शोषण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने तथा कठोर मानीटरिंग किए जाने की भी आवश्यकता है। मेरी मांग है कि एकल महिलाओं के लिए एक अलग से राष्ट्रीय नीति बनायी जाए और उनके कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी जाए, धन्यवाद।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): महोदया, मैं इस विषय से एसोशिएट करती हूं।